

I/211857/2022

संख्या-भा0 स0-115/81-2-2022-800(262)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर 2022

विषय- जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत रा0रा0 संख्या-24 (नई 09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए0के0जी0 इंजीनियरिंग कालेज से गंग नहर तक) (दांयी पटरी) के किमी0 27.500 से किमी0 33.350 रा0रा0 संख्या-709 बी दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कालेज के सामने से निकट केनरा बैंक, लोनी तक) (बांयी पटरी) के किमी0 15.600 से किमी0 16.000 एवं रा0रा0 संख्या-709 बी दिल्ली-बागपत रोड (चैधरीयव सिंह द्वारा के सामने से निकट आवास-विकास परिशद आफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बांयी पटरी) के किमी0 19.300 से किमी0 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 किमी0 एवं 0.4575 हे0 संरक्षित वनभूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रैन्च/एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 ए0एम0 व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/150710/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या-8 बी/यूपी/09/249/2022/एफसी/450 दिनांक 02.09.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक में की गई अपेक्षानुसार समस्त बिन्दुओं FCA Guideline के Clause संख्या-4.2 के अनुसार प्रस्ताव के अर्हता एवं RoW के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 12-09-2022 10:49:56

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव।